18.8.25

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी द्वारा पत्रावली पर नो-इन्स्ट्रक्शन लीड किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली लम्बे समय से तामिल हेतु नियत है परन्तु वादी द्वारा सम्मन जारी नहीं किए गए हैं जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः वादी का वाद इसी स्तर पर आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सरे-इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुदा हाजिर नम्बर से कम हो।

.....जाए कि
आगामी निगरानी कर दी जाए
जिसकी तिथि (ए. वाइ. हुसैन)
IAS